## प्ररूप 3

तः	त्काल आमे	लन होने पर किसी रा <mark>ज्य</mark> सर	कार या निगम या व	कंपनी या निक	ाय में कार्यभ	ार ग्रहण करने	के लिए का	र्यमुक्ति आदे	श
			[नियम	r 32 देखिए]					
			सं						
			भार	त सरकार					
			मंत्रालय/विभाग .						
					त	ारीख			
				आदेश					
	श्री/श्रीम	ती/कुमारी	(i)				को	स्थायी	आमेलन
होने	7	के आधार	पर			(iii)		के	रूप
में		(ii)		में	i कार्यभार <sup>ः</sup>	ग्रहण करने के	लिए एतद्वा	रा कार्यमुक्त	क किया
		रीख(							
		ग्रहण करना होगा। सरका (ii)							
		(ii)		में कार	र्गभार ग्रहण	करने की तारी	ख के बारे ब	में सूचना प्र	ाप्त होने
		चेत किया जाएगा। यवि							
		(ii)	में अपना कार्यभ	ार ग्रहण नहीं	कर पाते/पा	ती हैं तो उन्हे	तुरंत अपने	कार्यालय मे	ां रिपोर्ट
करना ह	होगा।								
		की तारीख और य छुट्टी की और यदि कोई शो			1, 25.4.11900.19 <del>0</del> 2.00				
4 19	(i)	कार्यमुक्त किए जाने वाले ।			45.1		111111111	.41 -115-11	M.
	(3)(7)	राज्य सरकार या निगम य			ામ બાર મા	11/1/11			
	(ii)						0 03		
	(iii)	जिस पद पर राज्य सरका							-
	(iv)	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय या कंपनी या निकाय में ब का समय देकर अवधारित के कारणों के होने की दश विस्तारित करने की अनुज्ञ	कार्यभार ग्रहण कर की जाएगी। प्राकृति । में प्रशासनिक मंद्र	ना होगा। यह तेक आपदा, न	तारीख उसे ागरिक संक्षे	कार्यमुक्ति की भि आदि जैसे	तारीख से अधिकारी वे	अधिकतम फ नियंत्रण	15 दिन से बाहर
					(कार्यमुक्त व	रने वाले अधि	कारी का न	ाम और पद	नाम)
प्रतिलिर्ग	<b>元</b> .								
त्रावाया	-1.·								
1.		(संबंधित अधि	कारी)						
2.		(राज्य सरकार	या निगम या कंपर्न	ो या निकाय)					

3. वेतन एवं लेखा कार्यालय

## FORM 3

## Relieving order on joining a State Government or Corporation or Company or Body on immediate absorption basis

[See rule 32]

		-					
		No					
		Government of India					
		Ministry/Department of					
		Dated the					
		ORDER					
	Shri/S	mt/Km is hereby relieved to					
		(ii)					
		oin					
		and it will be notified on the receipt of intimation about the date of his/her joining					
		(ii)					
		(ii)by(iv), he/she should report back to his/her office					
forthwi	ith.						
<u>2</u> 9	44.02						
2.	The	period between the date of relief and the date of joining in					
		(ii)					
orcurt,	оу схии	ordinary leave.					
	(i)	Name, designation and office of the Government servant to be relieved.					
	(ii)	Name of the State Government or corporation or company or body.					
	(iii)	Post against which the officer is to be appointed in the State Government or corporation or company or body.					
	(iv)	The Ministry/Department/Office should indicate the date by which the officer should join the State Government or corporation or company or body. This date will be determined by giving him/her a maximum of 15 days' time from the date of relief. The Competent Authority in the Administrative Ministry/Department/Office may allow any further extension beyond this date in case of reason beyond the control of officer like natural calamity, civil commotion, etc.					
		(Name and designation of the Relieving Officer)					
Copy to	o :						
4		(000					
4. 5.							
		d Accounts Office					
U.	I ay an	M TAGONINI CILIO					